ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,ग्वालियर

गोला का मंदिर,ग्वालियर फोन नं. 0751–2368107

साँची मिल्क पार्लर संचालन हेतु एजेन्ट्स चाहिए
(ग्यारहवां आमंत्रण)

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ग्वालियर, दतिया, भिण्ड, गोहद एवं शिवपुरी शहर में साँची मिल्क पार्लर संचालन हेतु एजेन्ट्स नियुक्त करने हेतु भौतिक रूप से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता इस कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र एवं अन्य नियम तथा शर्तो की विस्तृत जानकारी www.sanchidairy.com से प्राप्त कर सकते हैं।

पार्लर आवंटन हेतु आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग वार स्थल की आरक्षण सूची आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्रमांक 05 पर वर्णित है। आरक्षित वर्ग के पात्र आवेदकों को पार्लर आवंटन हेतु राज्य शासन के प्रावधान अनुसार चिन्हित स्थान पर आवटन किया जावेगा। इच्छुक आवेदक जो दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों पर कार्य करने के इच्छुक हों, दुग्ध संघ कार्यालय में दिनांक 10.07.2024 दोपहर 4.00 बजे तक राशि रू. 500.00 नगद जमा कर आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। भरे हुये प्रपत्र दिनांक 11.07.2024 अपरान्ह 4.00 बजे तक स्वीकार किये जाएंगे तथा दिनांक 12.07.2024 को आवेदकों के समक्ष दोपहर 03.00 बजे खोले जावेंगे। विस्तृत जानकारी दुग्ध संघ के गोला का मंदिर, ग्वालियर स्थित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। किसी भी आवेदन को सकारण निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार मख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

इस आवेदन में कोई सुधार/संशोधन होता है तो सिर्फ उपरोक्त दर्शित वेबसाईटों पर ही प्रकाशित किया जावेगा, अन्य कोई भी माध्यम से प्रकाशित नहीं होगा।

मुख्य कायपालन अधिकारी

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर (म.प्र.)

ग्वालियर शहर में साँची मिल्क पार्लर एजेन्ट हेतु आवेदन–प्रपत्र

(ग्यारहवां आमंत्रण)

आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित संलग्न

– आवेदनकर्ता का आवेदन पपत्र	प्रपत्र कमांक 01
– साँची पार्लर हेतु आवेदन एवं संचालन की आवश्यक शर्ते	प्रपत्र कमांक 02
– शपथ–पत्र का प्रारूप	प्रपत्र कमांक 03
– अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप	प्रपत्र कमांक 04
– पार्लर हेतु आरक्षित एवं अनारक्षित वर्गवार वांछित स्थानों की सूची	प्रपत्र कमांक 05

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

गोला का मंदिर, रेजीडेन्सी रोड़, मुरार,ग्वालियर–474005

दूरभाष कमांक– 0751–2368107

फैक्स नम्बर– 0751–2366981

E-mail : *gwaliordairy@gmail.com*

आवेदन प्रपत्र मूल्य रू. 500/–

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
गोला का मंदिर, रेजीडेन्सी रोड़, मुरार,ग्वालियर—474005

1	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की प्रारम्भ तिथि एवम् समय	दि. 24.06.2024 को दोपहर 12:30 बजे से
2	आवेदन प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि एवम् समय	दि. 10.07.2024 को दोपहर 04:00 बजे तक
3	आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवम् समय	दि. 11.07.2024 को दोपहर 04:00 बजे तक
3	आवेदन प्रपत्र खोलने की तिथि एवम समय	दि. 12.07.2024 को दोपहर 03:00 बजे
4	आवेदन प्रपत्र के साथ जमा की जाने वाली प्रतिभूति राशि	रू. 10,000 / — का डिमाण्ड ड्राफ्ट ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के नाम से देय
5	निविदा खोलने का स्थान	**ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गोला का मंदिर, रेजीडेन्सी रोड़, ग्वालियर—474005**

आवेदन प्रपत्र भरने हेतु ध्यान रखने योग्य बिन्दुः—

1— प्रपत्र क. 01 ''आवेदनकर्ता का आवेदन प्रपत्र'' एवं प्रपत्र क. 02 ''पार्लर संचालन की शर्तें'' की प्रतिपूर्ति कर एवं हस्ताक्षरित कर एक बंद लिफाफे में रखें लिफाफे पर लिफाफा A अंकित करें।

2— लिफाफा A एक अन्य लिफाफे में रखें एवं उस लिफाफे पर आवेदनकर्ता, अपना नाम पता एवं जिस स्थल पर (स्थल का नाम) पार्लर संचालन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते है स्पष्ट रूप से अंकित कर दुग्ध संघ कार्यालय में विज्ञापन में वर्णित अनुसार निर्धारित दिनांक को दोपहर 4:00 बजे तक जमा करें। पार्लर संचालन हेतु सभी आवश्यक अर्हताएं सफल पाये जाने पर चयन प्रकिया संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।

<u>साँची पार्लर हेतु आवेदन प्रपत्र</u>

स्वयं का प्रमाणित फोटो चिपकाए

सेवा में,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

1. अ) नाम ....

   ब) पिता/पति का नाम ....

   स) लिंग पुरूष/महिला ....

2. वर्गः (आवेदक कृपया अपने वर्ग के सम्मुख अंकित बॉक्स में सही का निशान लगाए)

   अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐

   अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ सामान्य वर्ग ☐

   आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग ☐

   (उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

3. शैक्षणिक योग्यताः ....
   (न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवी पास)

4. पताः

   अ) स्थाई पता : (आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करे) ....
   (दूरभाष/ मोबाइल न के साथ)

   ब) पत्र व्यवहार का पताः
   (दूरभाष/ मोबाइल नं के साथ)

5. वर्तमान व्यवसाय/कार्यः–
   – स्वंय का व्यवसाय ....
   – व्यवसाय के स्थान का पता **(दूरभाष नम्बर)**

6. आवेदक स्थल का पताः ....

7. वित्तीय स्थिति
   – वर्तमान व्यवसाय की लागत ....
   – वर्तमान व्यवसाय से आय ....
   – मिल्क पार्लर व्यवसाय हेतु लगाई जाने वाली पूंजी ....
   की व्यवस्था।
8. दूध/दुग्ध पदार्थ व्यवसाय का कोई अनुभव (हाँ/नही) ....
   (अनुभव संबंधी स्वप्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें)
9. जमानतदार
   (i) जमानतदार का नाम पूरा पता (दूरभाष सहित) व्यवसाय/मासिक आय
   ....
   (ii) जमानतदार का नाम पूरा पता (दूरभाष सहित) व्यवसाय/मासिक आय
   ....
   (एक जमानतदार सरकारी कर्मचारी होना अनिवार्य है)
10. पार्लर संचालन हेतु प्रस्तावित स्थल– अ. शहर का नाम ....
    ब.पार्लर क्रमांक एवं स्थल का नाम ....
    ....

(आवेदनकर्ता शहर एवं स्थल का नाम संलग्न सूची मं से देखकर, संबंधित वर्ग के लिये/सामान्य वर्ग के लिये स्पष्ट रूप से भरें, शब्दो में किसी भी प्रकार की कोई काटापिटी एवं ओवर राइटिंग न करें।

घोषणा–

मैं मिल्क पार्लर आवंटन से संबंधित समस्त शर्तें पढ़ और समझ चुका/चुकी हूँ और मान्य करता/करती हूँ। अतः मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।

नोट :–

1. आवेदन जमा करने की तिथि में अवकाश घोषित होने पर अगले कार्यालयीन दिवस में आवेदन प्राप्त किये जाएंगे।

दिनांक .... आवेदक का नाम.................................

स्थान ....

हस्ताक्षर

आवेदन के साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची

क्र.	आवश्यक दस्तावेज़
1.	आवेदन प्रपत्र क्रय करने की रू. 500/– की मूल रसीद
2.	आधार कार्ड की छायाप्रति
3.	जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति
4.	दिव्यांगजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र (नोटः–न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता को प्राथमिकता)
5.	आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
6.	शैक्षणिक योग्यता आठवी पास मार्कशीट की छायाप्रति।
7.	अनुभव संबंधी स्वप्रमाणित दस्तावेज़। (यदि हो तो)
8.	मूल निवासी प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है
9.	रू. 10,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के नाम से देय अथवा कार्यालय में जमा की गई रसीद की प्रति
10.	एमपीसीडीएफ भोपाल एवं किसी भी दुग्ध संघो के प्राधिकृत अधिकारी, अध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी, संचालक मंडल के सदस्य, दुग्ध समितियों के सचिव से रक्त संबंध नही है एवं न ही वे आश्रित परिवार के सदस्य है। किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय संस्था से कभी भी, किसी भी कार्य से पृथक कर ब्लेक लिस्टेड नही किया गया है एवं न ही किसी भी पुलिस थाने एवं न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है/चल रहा है के संबंध में रू.100/– के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।

नोट :–

1. **उपरोक्त वर्णित दस्तावेज़ एवं आवेदन में वर्णित अन्य दस्तावेज़ आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न न करने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।**

प्रपत्र क्र.02

सांची मिल्क पार्लर आवंटन हेतु सामान्य शर्तेः–

साँची पार्लर रखे जाने हेतु आवेदन एवं संचालन की आवश्यक शर्तेः–

1– नगर निगम द्वारा स्वीकृत स्थानों पर पार्लर स्थापना हेतु आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग हेतु चिन्हांकन किया गया है। संबंधित वर्ग के आवेदक अपने वर्ग अनुसार केवल चिन्हांकित किये गये स्थानों हेतु आवेदन प्रस्तुत करें। यद्यपि आवेदक एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, परन्तु एक आवेदनकर्ता को एक ही पार्लर आवंटन किया जाएगा। एक स्थान पर आवंटन होने पर ऐसे आवेदक के नाम पर अन्य स्थानों के लिये विचार नहीं किया जावेगा। पार्लर आवंटन हेतु वर्गवार स्वीकृत स्थलों की सूची आवेदन प्रपत्र के साथ प्रपत्र क्र.05 पर संलग्न है। एक बार आवेदन प्रस्तुत होने के उपरांत चयन प्रक्रिया के समय स्थल परिवर्तन हेतु आवेदनकर्ता की ओर से कोई भी लिखित आवेदन व कारण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2– **चयन प्रक्रिया :–**
पार्लर आवंटन में प्रत्येक वर्ग में प्राथमिकता उस वर्ग के शारीरिक दिव्यांग (न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता) आवेदक को दी जावेगी । यदि प्रत्येक स्थान पर पार्लर हेतु केवल एक ही आवेदन प्राप्त होता है तो इस दशा में पात्र आवेदनकर्ता के समस्त दस्तावजों के परीक्षण उपरात सफल पाये जाने पर पार्लर आवंटन कर दिया जावेगा तथा यदि एक स्थान पर एक से अधिक पात्र आवेदन प्राप्त होते है तो इस दशा में चयन लॉटरी के द्वारा होगा। इस प्रक्रिया में निर्धारित सूची में क्रम अनुसार प्रत्येक पार्लर के आरक्षित वर्ग के एक से अधिक पात्र आवेदक पाए जाने पर पार्लर संचालन हेतु आवेदक का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

3– **आरक्षण के प्रावधान :–**
पार्लर आवंटन हेतु वर्गवार आरक्षण विवरणः–

सं. क्र	श्रेणी	कुल संख्या
1	अनारक्षित महिला	0
	अनारक्षित ओपन	0
2	अनुसूचित जाति महिला	1
	अनुसूचित जाति ओपन	0
3	अनुसूचित जनजाति महिला	2
	अनुसूचित जनजाति ओपन	3
4	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	1
	अन्य पिछड़ा वर्ग ओपन	1
5	आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग महिला	1
	आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग ओपन	2
	कुल योग	**11**

4— उपरोक्त वर्णित आरक्षण तालिका में अन्य पिछड़ा वर्ग में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम क्र. 21 सन् 1994 के अनुसार अनुसूचित जनजाती वर्ग हेतु 20 प्रतिशत, अनुसूचित जाति हेतु 16 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग हेतु 10 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित किया गया है। मध्यप्रदेश लोक सेवा संशोधन अधिनियम 2019 में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया है, परन्तु माननीय न्यायालय में आरक्षण के संबंध में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण उपरोक्त तालिका में अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया गयाहै। भविष्य में प्रकरण पर निर्णय अनुसार पुनरीक्षित आरक्षण लागू किया जाएगा।

5— अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की ओपन श्रेणी में महिलाऐं भी आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।

6— अनारक्षित श्रेणी में अन्य आरक्षित वर्ग के आवेदक भी आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

7— पार्लर में आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के आवेदकों के ऐसे प्रवर्गों को लागू नहीं होगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) के रूप में अधिसूचित किए जाऐं।

8— प्रत्येक वर्ग हेतु कुल आरक्षण अनुसार पार्लर में से उसी वर्ग की महिला एवं ओपन हेतु क्रमशः 33 एवं 67 प्रतिशत पार्लर आरक्षित होंगे।

9— आरक्षित वर्ग के आवेदको को आवेदन के साथ जाति प्रमाण—पत्र, दिव्यांगजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी अन्यथा आवेदक के आवेदन को सामान्य वर्ग का आवेदन मान्य किया जावेगा।

10— ग्वालियर शहर के लिए प्रस्तावित पार्लर सूची नगर पालिक निगम ग्वालियर के पत्र कमांक 1433 दिनांक 03.10.2018 के द्वारा आवंटित स्थल सूची के अनुसार है, जिसके लिए आवंटी को यातायात पुलिस विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि शहर सौन्दर्यीकरण /यातायात में बाधा आदि के कारण पार्लर स्थल का आधिपत्य/आवंटन नगर निगम ग्वालियर द्वारा नही किया जाता है तो मिल्क पार्लर आवंटन निरस्त होकर आवंटी की जमा प्रतिभूति /सुरक्षा राशि वापसी योग्य होगी।

11— नगर पालिका निगम,ग्वालियर द्वारा आवंटित स्थान पर सांची मिल्क पार्लर की स्थापना संघ के पर्यवेक्षण में की जावेगी, जिस पर साँची ब्रान्ड के दुग्ध एवम् दुग्ध पदार्थ का ही विकय किया जावेगा अन्य किसी वस्तु का विकय नहीं होगा। पार्लर बूथ बिना उपकरण व फिटिंग के संघ द्वारा प्रदाय किया जावेगा, जो संघ की सम्पत्ति रहेगा ।

12— चयनित आवेदक को संघ के साथ रू. 1000.00 के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर त्रिपक्षीय अनुबन्ध कराना होगा एवं पार्लर आवंटन के दस दिवस के अंदर रू. 50,000. 00 प्रतिभूति राशि संघ में जमा कराना होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । चयनित आवेदक को नगर पालिका निगम,ग्वालियर द्वारा पार्लर के लिये निर्धारित एन. आर. पी. रू. 60,000.00 जमा करनी होगी जो वापसी योग्य नहीं होगी ।

13— पार्लर आवंटन हेतु आवेदक को उस शहर का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध मे मूल निवासी प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम **आठवी पास** होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ अंकसूची की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

14– आवेदन के साथ प्रारम्भिक तौर पर अर्नेस्ट मनी रू. 10,000.00 (दस हजार नगद) संघ कार्यालय में जमा करना होगा चयनित व्यक्ति की प्रारम्भिक अर्नेस्टमनी को प्रतिभूति राशि के रूप में समायोजित की जावेगी। बिना अर्नेस्टमनी के प्रस्तुत आवेदनो पर विचार नहीं किया जावेगा ।

15– नगर पालिका निगम, ग्वालियर द्वारा निर्धारित मिल्क पार्लर का मासिक लाईसेन्स शुल्क किराया, जी.एस.टी. सहित एवम् पार्लर आवंटी द्वारा पार्लर में होने वाले विद्युत एवं अन्य व्यय जैसे नगर पालिका निगम,ग्वालियर द्वारा लाईसेन्स फीस, केन्द्र सरकार एवम् राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य कर आदि का भुगतान स्वयं वहन करना होगा । साथ ही पार्लर आवंटी को दो वर्ष का अग्रिम मासिक शुल्क किराया पार्लर का आधिपत्य लेने के पूर्व दस दिवस के अन्दर दुग्ध सघ कार्यालय में नगद जमा कराना होगा । प्रतिभूति राशि एवं किराया राशि पार्लर आवंटन के 10 दिवस के अंदर जमा न करने की स्थिति में अर्नेस्ट मनी राजसात कर ली जावेगी ।

16– पार्लर आवंटी को पार्लर में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के प्रशीतन हेतु डीपफ्रिज व विद्युत कनेक्शन स्वयं के व्यय पर स्वयं के नाम पर लेना होगा तथा बिलो का भुगतान स्वयं करना होगा।

17– पार्लर आवंटी द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ संघ की स्वीकृत दरों पर ही विकय किये जावेगे। अधिक दर पर बिक्री करते हुये पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से पार्लर आवंटन निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी ।

18– यह कि पार्लर आवंटी द्वारा पार्लर से प्रतिबंधित सामग्री एवम् प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड के दूध एवम् दुग्ध उत्पाद का विकय नही किया जावेगा । ऐसा करते पाये जाने पर एजेन्टशिप निरस्त कर दी जावेगी ।

19– पार्लर आवंटी द्वारा पार्लर संचालन में किसी पकार की अनियमितता एवं संघ के आदेशों की अवहेलना किये जाने पर एजेन्ट शिप निरस्त कर दी जावेगी ।

20– चयन उपरांत सफल आवेदनकर्ता द्वारा किसी भी परिस्थिति में पार्लर को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेंगा तथा ना ही किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर दिया जा सकेगा । यदि ऐसा पाया जाता है तो आवंटन निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाऐगी ।

21– पार्लर आवंटी द्वारा पैक दूध एवं दुग्ध पदार्थो में किसी भी प्रकार की मिलावट, छेड़छाड एवं खोलने का प्रयास किये जाने पर एजेन्ट शिप निरस्त कर दी जावेगी।

22– स्थानीय नगरीय प्रशासन/नगर पलिका निगम, ग्वालियर आदि के द्वारा जारी किये जाने वाला दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के विकय हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत एफ. एस.एस.ए.आई.लाईसेन्स, जी.एस.टी. नम्बर आदि पार्लर आवंटी को अपने नाम से एवं अपने व्यय पर लेना होगा । जिसको समय – समय पर नवीनीकरण कराया जावेगा । प्रारम्भ में यह आवंटन तीन वर्ष की अवधि के लिये रहेगा । जिसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा कार्य संतोष जनक पाये जाने पर आगामी एक – एक वर्ष करते हुऐ बढ़ाया जा सकगा ।

23– यदि नगर–पालिका निगम/स्थानीय प्रशासन के द्वारा सांची पार्लर को सौर्न्दयीकरण/ सड़क चौड़ीकरण या अन्य किसी प्रकिया के तहत् हटाया जाता हैं तो पार्लर एजेन्ट को होने वाले किसी भी नुकसान के लिये ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर जबाबदार नहीं होगा ।

24– आवेदन पत्र सील बन्द लिफाफे में जमा किये जावेगे एवम् जिस स्थान के लिये आवेदन किया जा रहा है उसका नाम लिफाफे पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये ।

–4–

25– विज्ञापन से प्राप्त आवेदनों में ऐसा आवेदक का आवेदन प्राप्त होगा जिसका संघ में रिकार्ड खराब हो अथवा पूर्व में संघ की नीतियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई हो तो उस आवेदक का आवेदन संघ स्तर पर निरस्त कर दिया जावेगा एवं आवेदन को आवंटन प्रकिया में शामिल नहीं किया जायेगा ।

26– आवेदनकर्ता आवेदन प्रपत्र के नियम एवं शर्तों का विस्तृत रूप से अध्ययन कर/पढ़कर आवेदन में मांगे गये आवश्यक अंर्हताओं की प्रतिपूर्ति कर आवेदन भरें। अन्यथा चयन प्रक्रिया के समय किसी भी प्रकार से जानकारी/दस्तावेजों में कम पाये जाने की दशा में इस प्रकार के आवेदनों को निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी जवाबदेही संबंधित आवेदनकर्ता की होगी।

27– आवेदनकर्ता को आवेदन प्रपत्र के साथ रू 100/– के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आवेदनकर्ता का ''एमपीसीडीएफ भोपाल एवं किसी भी दुग्ध संघो के प्राधिकृत अधिकारी, अध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी, संचालक मंडल के सदस्य, दुग्ध समितियों के सचिव से रक्त संबंध नही है एवं न ही वे आश्रित परिवार के सदस्य है। आवेदनकर्ता को किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय संस्था से कभी भी, किसी भी कार्य से पृथक कर ब्लेक लिस्टेड नही किया गया है एवं न ही आवेदनकर्ता को किसी भी पुलिस थाने एवं न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है/चल रहा है। यदि भविष्य में उक्त शपथ गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ द्वारा आवंटी का आवंटन निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी एवं उसके विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा। जो कि आवेदनकर्ता को मान्य होगा।'' (आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 03 पर प्रारूप संलग्न है, का अवलोकन कर प्रस्तुत करें।)

28– ऐसे आवेदक जिनके स्वयं के अथवा नजदीकी रिश्तेदार के नाम सांचो पार्लर आवंटित है, के आवेदन को आवंटन प्रकिया में शामिल नहीं किया जावेगा ।

29– संघ द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशो व अन्य नियम एवं शर्ते, अनुबन्ध अनुसार पार्लर आवंटी पर बंधनकारी होगे ।

30– किसी भी प्रकरण में ग्वालियर दुग्ध संघ एवं आवंटी क मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

31– आवेदक यदि पूर्व से ही दूध या दुग्ध पदार्थो का व्यवसाय कर रहे हो तो उनके आवेदन पर तभी विचार किया जावेगा, जब आवेदक यह घोषणा–पत्र आवेदन के साथ संलग्न करें कि पार्लर आवंटन की स्थिति में आवेदक द्वारा खुले अथवा अन्य ब्रांड के दूध, घी एवं दुग्ध पदार्था का विकय पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा । आवेदक पूर्व से ही सांची पार्लर का संचालन कर रहा है तो उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

मैने उपरोक्त आवेदन में वर्णित आवंटन की नियम एवं शर्तो तथा अनुबंध की शर्तो को भली भांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है । मुझे आवेदन में वर्णित नियम एवं शर्तो तथा अनुबंध की सभी शर्ते मान्य है एवं इस हेतु अपनी सहमति देता/देती हूँ ।

दिनांक.......................... **हस्ताक्षर**

आवेदनकर्ता का नाम एवं पता

प्रपत्र क्र.03

शपथ पत्र (केवल रू. 100/— के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं यह शपथपूर्वक कथन करता हूं कि —

1. मेरा एमपीसीडीएफ भोपाल, किसी भी दुग्ध संघों के अध्यक्ष, प्राधिकृत अधिकारी, संचालक मंडल के सदस्य, दुग्ध समिति के सचिव, अधिकारी एवं कर्मचारी से किसी भी प्रकार का कोई रक्त संबंध नही है एवं ना ही मै आश्रित परिवार का सदस्य हूँ।
2. मुझे कभी भी किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेड नही किया गया ह तथा मेरा किसी भी न्यायालय, पुलिस थाने में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है/चल रहा है।
3. मेरे द्वारा पार्लर आवंटन की स्थिति में खुले अथवा अन्य ब्रांड के दूध, घी एवं दुग्ध पदार्थ का विक्रय पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा।

यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार से उपरोक्त वचन/शपथ गलत पाया जाता है तो ग्वालियर दुग्ध संघ प्रबंधन मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा एवं इस हेतु मै/हम अपनी सहमती देता हूँ/देती हूँ।

दिनांकः— ....

गवाहः—

1 नाम ....
पता— ....
....
....
मो.नं.— ....
आधारकार्ड नं.— ....

2 नाम— ....
पता—...............................
....
....
मो.न.— ....
आधारकार्ड न—........................

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता
नाम—
पता— ....
....
....
मो.नं.

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध आयुक्त नगर पालिका निगम, ग्वालियर (जिन्हे आगे प्रथम पक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर (जिन्हे आगे द्वितीय पक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है) एवम् श्री .... पुत्र .... निवासी .... (जिन्हे आगे तृतीय पक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया हैं) के मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 366 के अंतर्गत बनाई गई उपविधियो के अंतर्गत डिपो/पार्लर संचालन हेतु चिन्हांकित स्थलों की अनुज्ञा/अनुमति बाबत निम्नानुसार अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है:—

1— **अ**— यह कि द्वितीय पक्ष दूध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय संबंधी व्यवस्था हेतु तृतीय पक्ष के आवेदन पर .... डिपो साँची पार्लर से साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु अधिकृत करता है ।

ब— यह कि **यह आवंटन पूर्णतया अस्थाई है** एवं द्वितीय पक्ष द्वारा सुनवाई का अवसर देने के बाद आवंटन निरस्त किया जायेगा। तृतीय पक्ष द्वारा 30 दिन का अग्रिम नोटिस देकर यह अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा, नोटिस इस अनुबन्ध में वर्णित पते पर पंजीकृत /पावती डॉक द्वारा भेजा जावेगा। यदि अन्यथा पूर्व में ही नया पता सूचित नहीं किया गया है तथा इस प्रकार भेजा गया पत्र/नोटिस प्राप्त कर लिया माना जावेगा। तृतीय पक्ष एजेन्टशिप त्यागने/छोड़ने हेतु प्रथम पक्ष को लिखित रूप में कम से कम 30 दिवस पूर्व सूचित करेगा, किन्तु द्वितीय पक्ष द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक कार्य सम्पादन हेतु तृतीय पक्ष बाध्य होगा।

स—यह कि अनुबन्ध निष्पादन तिथि से तीन वर्ष अर्थात् निष्पादन तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिये प्रभावशील माना जावेगा । इस अनुबन्ध की अवधि प्रथम बार में नियुक्त तिथि के वित्तीय वर्ष की दिनांक 31 मार्च तक होगी । उसके बाद पुनः अनुबन्ध नवीनीकरण की अवस्था में अनुबन्ध की अवधि दिनांक 1 अप्रैल से प्रभावी होगी । यदि तृतीय पक्ष डिपो/पार्लर निरंतर चलाना चाहता है तो उसे इसी अनुसार नया अनुबंध आवंटन दिनांक से तीसरे वित्तीय वर्ष समाप्त होने के एक माह पूर्व निष्पादित करना होगा अन्यथा डिपो/पार्लर अन्य व्यक्ति को देने के लिये द्वितीय पक्ष स्वंतत्र रहेगा। अवधि समाप्त होने के बाद या अनुबंध नवीनीकरण न कराने पर रूपये 5000/— द्वितीय पक्ष द्वारा तृतीय पक्ष पर अर्थदण्ड (जुर्माना) अधिरोपित किया जाएगा तथा आवंटन निरस्ती की कार्यवाही भी की जा सकेगी ।

द— यह कि तृतीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लघंन किया गया तो द्वितीय पक्ष द्वारा तृतीय पक्ष का सुनवाई का अवसर देकर स्पष्टीकरण के संतोषजनक न होने पर अनुबंध समाप्त किया जाएगा ।

इ— यह कि द्वितीय पक्ष एजेन्सी निरस्त करने पर तृतीय पक्ष को निर्धारित अवधि मे डिपो/पार्लर/एजेन्सी का कब्जा अधिकृत व्यक्ति / अधिकारी को देना होगा, ऐसा ना करने पर द्वितीय पक्ष का अधिकार होगा कि वह डिपो/पार्लर का कब्जा कर ले, जिसमे तृतीय पक्ष को आपत्ती करने का अधिकार नही होगा। द्वितीय पक्ष किसी भी अन्य व्यक्ति/संस्था को यह डिपो/पार्लर आवंटित करने हेतु स्वंतत्र होगा । कब्जा प्राप्त होने की दिनांक तक संघ दण्डस्वरूप/क्षति स्वरूप एजेन्ट से प्रतिमाह रू. 10,000/— प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

ई— यह कि यदि द्वितीय एवं तृतीय पक्षों मे विवाद उत्पन्न होता है तो यह विवाद आर्बिटेशन हेतु प्राधिकृत अधिकारी/अध्यक्ष ग्वालियर दुग्ध संघ अथवा उनके नामांकित व्यक्ति को जो संदर्भित किया जावेगा एवम् उनके द्वारा दिया गया वार्ड दोनो पक्षा को मान्य एवम् बन्धनकारी होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एण्ड़ रीकन्सीलिएशन अधिनियम 1996 के अन्तर्गत सम्पादित होगी।

उ— यह कि अनुबंध के अंतर्गत विषयों के सम्बन्धित उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादो के सम्बन्ध में समस्त क्षेत्राधिकार सक्षम न्यायालय को होगा।

ऊ— समस्त विवादों के निपटारे के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र ग्वालियर ही होगा।

2— अ— यह कि तृतीय पक्ष इस नियुक्ति/आवंटन के वक्त मिल्क पार्लर हेतु रूपये 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) बतौर जमानत द्वितीय पक्ष के पास जमा कराएगा जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। आवंटन नियम एवं शर्तो का उल्लघंन करने पर अथवा अनुबंध नवीनीकरण न करने पर यह जमानत राशि द्वितीय पक्षकार द्वारा जब्त की जा सकेगी। चयनित आवेदक को प्रथम पक्ष नगर पालिक निगम, ग्वालियर द्वारा पार्लर हेतु आवंटित भूमि के लिये निर्धारित एन.आर.पी. रू 60,000/— जमा करनी होगी जो वापसी योग्य नहीं होगी ।

ब— यह कि भविष्य में जमानत राशि में वृद्धि करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा जिसे जमा करने हेतु तृतीय पक्ष बाध्य रहेगा।

स— यह कि जमानत राशि से डिपो/पार्लर/एजेन्सी सम्बन्धी किसी भी बकाया या नुकसान की राशि की भरपाई करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को रहेगा।

द—पार्लर आवंटी को दो वर्ष का अग्रिम किराया पार्लर का आधिपत्य लेने के पूर्व दस दिवस के अन्दर दुग्ध सघ कार्यालय में नगद जमा कराना होगा एवं दो वर्ष पूर्ण होने के एक माह पूर्व आगामी एक वर्ष का किराया जमा कराना अनिवार्य होगा।

य— यह कि अनुबंध की पूर्ति हेतु दो संभ्रांत व्यक्तियों जिनमें एक जमानतदार सरकारी कर्मचारी होना अनिवार्य है, की रूपये 25,000.00 प्रत्येक की जमानत देना अनिवार्य होगा, तथा उक्त जमानतनामे भी इस इकरारनामे के परिशिष्ट के रूप मे इसका अंग माने जावेंगे एवं वह तृतीय पक्ष एवं उसके जमानतदारों पर बंधनकारक रहेंगे। तृतीय पक्षकार के आवंटन निरस्ती पर जमानतदारों की जमानत भी जब्त की जाएगी तथा यदि तृतीय पक्षकार पर दुग्ध संघ की कोई बकाया राशि निकलती है तो जमानतदारों से भी उसकी वसूली की जा सकेगी।

र— यह कि तृतीय पक्ष द्वारा जमानत राशि वापसी का आवेदन करने पर वितरक का नो ड्यूज सहित प्रस्तुत करने पर 02 माह भीतर जमानत राशि वापस की जाएगी।

3— अ— तृतीय पक्ष को आवंटित इस डिपो/पार्लर/एजेन्सी को नीचे दर्शाई गई समयावधि में खुला रखना अनिवार्य होगा।

समय	**से**	**समय**
प्रातः 6.00 बजे	से	12.00 बजे तक
सांय 3.00 बज	से	10.00 बजे तक

ब— यह कि तृतीय पक्ष को द्वितीय पक्ष द्वारा समय—समय पर निर्धारित, दुग्ध पदार्थो की विक्रय मूल्य तालिका एवं डिपो/पार्लर खुलने व बंद होने की समय तालिका डिपो/पार्लर पर लगाना अनिवार्य होगा। पार्लर खोलने की समय अवधि में द्वितीय पक्षकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

स— द्वितीय पक्षकार द्वारा आवंटित पार्लर मे साँची दूध व साची दुग्ध उत्पाद, घी, मक्खन, दही, मट्ठा, श्रीखण्ड, छेना रबड़ी, लस्सी, मीठा दूध, पनीर, मावा, पेड़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, काजू कतली, मिल्क केक, साँची ठण्डाई, नारियल बर्फी तथा दुग्ध संघ द्वारा उत्पादित समस्त उत्पाद (भविष्य में अन्य साँची उत्पाद) आदि प्रतिदिन लेना व विक्रय करना अनिवार्य होगा । विक्रय न करने पर चेतावनी नोटिस जारी किया जाकर चस्पा किया जाएगा। सुधार न आने पर प्रथम नोटिस एवम् रू. 1000/— जुर्माना, द्वितीय बार नोटिस एवम् रू. 2000/— जुर्माना व फिर भी अनुबंध के उल्लंघन या सुधार न आने पर तृतीय बार नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया जाकर आवंटन निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी। यदि तृतीय पक्षकार जुर्माना राशि जमा नही करता है तो उसकी दूध व दुग्ध उत्पाद की सप्लाई रोकी जाकर आवंटन निरस्ती की भी कार्यवाही की जाएगी। तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटका अथवा किसी मादक द्रव्य का संग्रहण/विक्रय पाया जाने पर आवंटन तत्काल निरस्त कर सुरक्षा राशि राजसात कर दी जावेगी।

साँची डिपो/पार्लर अपने यहाॅ किसी भी अन्य कम्पनी का प्रचार—प्रसार नही करेंगे और न ही प्रदर्शनीय स्थल पर पम्पलेट/साइनबोर्ड प्रर्दशित करेंगे, साँची दूध एवम् दुग्ध पदार्थो का पदर्शन सामने करना अनिवार्य होगा। साँची के साइनबोर्ड पर किसी अन्य कम्पनी की साझेदारी या विज्ञापन का प्रकाशन नही किया जाएगा। मात्र साँची का साइनबोर्ड मान्य होगा।

द— उपभोक्ता यदि दूध की घर पहुंच सेवा चाहता है तो तृतीय पक्ष घर पहुंच सेवा के लिये बाध्य होगा। घर पहुंच सेवा सुविधा न देने पर प्रथम पक्ष द्वारा एजेंटशिप निरस्त करने के लिये स्वंतत्र रहेगा।

इ— एजट को दोनो समय (सुबह—शाम) साँची दूध एवम् दुग्ध उत्पाद का विक्रय करना अनिवार्य होगा।

4— अ— यह कि मिल्क डिपो/पार्लर पर द्वितीय पक्ष दुग्ध संघ का स्वामित्व है, जो कि प्रथम पक्ष नगर पालिक निगम, ग्वालियर की भूमि पर स्थित है, के हस्तान्तरण/विक्रय /किराये पर देने का तृतीय पक्ष को कोई अधिकार नहीं होगा । यदि तृतीय पक्षकार ने साँची डिपो/पार्लर दूसरे को हस्तान्तरण/ विक्रय, किराये पर दिया तो सम्बन्धित पर अन्य कार्यवाही के साथ—साथ पुलिस एफ.आई.आर. / वैधानिक / न्यायिक कार्यवाही की जाएगी ।

ब— यह कि नगर पालिक निगम, ग्वालियर/खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पार्लर द्वारा विक्रय किये जाने वाले पदार्थो का विक्रय लायसेंस तृतीय पक्ष को स्वय के व्यय से प्राप्त करना होगा तथा नियमानुसार लाईसेंस फीस नगर पालिक निगम, ग्वालियर/सम्बन्धित विभाग मे जमा करना अनिवार्य होगा।

स—यह कि तृतीय पक्ष द्वारा समस्त कानून अथवा उपनियम का पालन आवश्यक होगा नाप—तौल विभाग, नगर पालिक निगम, ग्वालियर, खाद्य विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाये गये किसी भी नियम का उल्लघंन करने पर तृतीय पक्षकार की रहेगी।

द— यह कि पार्लर में फ्रिज/डीप फ्रिजर आदि की व्यवस्था तृतीय पक्ष को स्वयं के व्यय पर करनी होगी तथा उसका तापमान 4—6 डिग्री रख कर साँची दूध एवम् दुग्ध पदार्थ का शीतलीकरण व गुणवत्ता बनाये रखना अनिवार्य होगा।

इ— यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा निर्मित दूध एवं दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त ऐसा कोई पदार्थ तृतीय पक्ष द्वारा पार्लर से विक्रय नहीं किया जा सकेगा जो द्वितीय पक्ष द्वारा उत्पादित पदार्थो के समानांतर हो या शासन तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रतिबंधित हो । अर्थात् अन्य कम्पनी के दूध या दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु प्रतिबंधित होंगे तथा विक्रय करने पर रू. 5000/— अर्थदण्ड लगाया जाएगा व पार्लर आवंटन निरस्त किया जाएगा।

ई— यह कि पार्लर पर होने वाले व्यय जैसे भूमि, किराया, विद्युत, पानी एवं अन्य व्यय एवं रखरखाव व्यय तृतीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा एवं निर्धारित समय में सम्बन्धित विभाग अथवा संघ के निर्देशानुसार संघ कार्यालय में जमा किया जावेगा।

उ— यह कि तृतीय पक्ष विक्रय स्थल का अनुचित प्रयोग नहीं करेंगे और न ही अन्य किसी व्यक्ति को किराये पर देंगे और न ही किसी को विक्रय करेंगे। इस डिपो/पार्लर का स्वामित्व सदैव दुग्ध संघ के पास रहेगा। विक्रय स्थल को स्वच्छ एवं दुर्गन्धरहित रखेंगे।

5— अ— तृतीय पक्ष को प्रदाय की गई दूध एवम् दुग्ध पदार्थ की पूर्ण राशि तृतीय पक्ष को द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त सम्बन्धित वितरक को जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। वितरक की राशि जमा न करने पर वितरक को दूध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदाय न करने का अधिकार रहेगा। लेकिन इसकी पूर्व सूचना दुग्ध संघ को देना अनिवार्य होगा।

ब— क्योकि तृतीय पक्ष द्वितीय पक्ष के लिए स्वीकृत एजेंट बतौर कार्य/व्यवसाय सबंधित उपभोक्ताओं से कर रहा है। अतः उपभोक्ताओं से लेन—देन की समस्त जवाबदारी तृतीय पक्ष की होगी व किसी भी तरह उपजे विवाद के निराकरण वास्ते द्वितीय पक्ष द्वारा दिशा निर्देशों के पालन हेतु तृतीय पक्ष बाध्य होगा।

स— यह कि तृतीय पक्ष को द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित दरों पर ही दूध एवं दुग्ध पदार्थ एम. आर.पी. (मैक्सिमम रिटेल प्राइज) पर विक्रय करना होगा। इससे अधिक दर पर विक्रय किये जाने पर तृतीय पक्ष के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी तथा आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

द— साँची डिपो/पार्लर अपने यहाँ साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद के अलावा किसी अन्य कंपनी का खाद्य पदार्थ न ही रखेंगे और न ही विक्रय करेंगे पार्लर के अन्दर भी मात्र साँची दूध व दुग्ध उत्पादों का प्रदर्शन अनिवार्य होगा। द्वितीय पक्षकार दुग्ध संघ यदि किसी सहकारिता या अन्य कम्पनी के उत्पाद रखने हेतु निर्देशित करेगा तो सम्बन्धित पार्लर/डिपो संचालक को यह रखने एवम् विक्रय करना अनिवार्य होगा।

तृतीय पक्षकार को अपने पार्लर मे साफ—सफाई रखने तथा वर्ष में एक बार उसकी रंगाई/पुताई स्वयं के व्यय पर कराना अनिवार्य होगा सफाई न पाई जाने / रंग रोगन न कराने पर रू. 1000/— अर्थदण्ड / जुर्माना लगाया जाएगा।

इ— द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कार्ड पुस्तिकाओं के तहत उपभोक्ताओं के बनाए गए एडवांस कार्ड के तहत प्राप्त राशि का लेखा—जोखा तृतीय पक्ष को रखना होगा। प्रस्तुत पुस्तिकाओं के माध्यम से प्राप्त की गयी अग्रिम राशि को पूर्ण रूपया ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा । द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त एड़वास कार्ड पुस्तिकाओं में की गयी किसी तरह की हेराफेरी या इसके माध्यम से उपभोक्ताओं से प्राप्त राशि में की गयी हेराफेरी गम्भीर धोखाधड़ी की श्रेणी में यह कृत्य आवेगा तथा तृतीय पक्ष पर पुलिस कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही के द्वारा द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उपभोक्ताओं को उसकी राशि द्वितीय पक्ष से वापस करवा सके।

ई— विक्रय एजेन्ट द्वारा दूध विक्रय एवं अग्रिम कार्ड की राशि नकदी के रूप में शाखा के किसी भी कर्मचारी को नकदी में न दी जावे। यदि किसी विशेष परिस्थिति में नकदी राशि दी जाती ह तो उसकी प्राप्ति अवश्य ली जावे।

6– यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा माल की अदायगी के समय ही तृतीय पक्ष पैकेट/बॉटल की सील संस्था आदि की जांच कर सन्तुष्टि की दशा में ही माल प्राप्त करंगे एवं सतर्कता से वितरण करेंगे। प्राप्ति के उपरान्त माल की शुद्धता एवं तौल की पूर्ण जवाबदारी तृतीय पक्ष की रहेगी।

7– यह कि शासन के सम्बन्धित विभाग जैसे कि नगर पालिक निगम,ग्वालियर अथवा खाद्य विभाग द्वारा सेम्पल की मांग की जाने पर सील लगी इकाई ही देवेगे इस सम्बन्ध में तुरन्त द्वितीय पक्ष को सूचित करेंगे। यदि तृतीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की कोई इकाई या खुला पदार्थ दिया हो तो उसकी जबाबदारी तृतीय पक्ष की रहेगी। द्वितीय पक्ष की कोई जबाबदारी नहीं रहेगी। सभी साँची डिपो/पार्लर खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पंजीयन कराने, लाईसेंस प्राप्त करने व नियमों के पालन हेतु बाध्य रहेंगे।

8– यह कि पार्लर में द्वितीय पक्ष द्वारा जो सामान, फर्नीचर एवं फिक्चर्स उपलब्ध कराये हैं एवं भविष्य में उपलब्ध कराए जायेंगे एवं केन, केटस, बॉटल प्रदाय किये जायेंगे किसी भी कारण उसकी टूट–फूट नुकसानी होने पर प्रचलित बाजार मूल्य से उसकी भरवाई तृतीय पक्ष को करना होगा।

9– यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदाय किये गये दूध एवं दुग्ध पदार्थ एवं खाली केट्स, बॉटल का लेखा–जोखा तृतीय पक्ष को रखना होगा एवं मांग किये जाने पर द्वितीय पक्ष द्वारा अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। द्वितीय पक्ष के खाली केटस का स्वयं उपयोग करने/बेचने पर तृतीय पक्ष का नोटिस देकर कार्यवाही की जाएगी।

10– यह कि द्वितीय पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार तृतीय पक्ष स्वयं करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा बुलाये जाने पर तृतीय पक्ष व्यक्तिगत रूप से द्वितीय पक्ष के कायालय में उपस्थित होंगे। दुग्ध संघ द्वितीय पक्षकार द्वारा की जाने वाली मासिक/त्रैमासिक मीटिंग मे उपस्थित होकर जानकारी प्रदान करना अनिवार्य होगा।

11– यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा विकय सम्बन्धी जो नियम वर्तमान में प्रचलित हैं एवं भविष्य में समय – समय पर बनाए जायेंगे तृतीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा न करने पर जुर्माना, पार्लर निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी।

12– यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा समय – समय पर दिये गये पार्लर के समय एवं दुग्ध पदार्थ के माह कमीशन की राशि सम्बन्धी परिवर्तन के आदेश तृतीय पक्ष पर बन्धनकारक रहेगा।

13– यह की इस अनुबन्ध की शर्तो व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा जिसकी सूचना तृतीय पक्ष को दी जावेगी एवं तृतीय पक्ष उसका पालन करेगा।

14– यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा तृतीय पक्ष को पार्लर आवंटन की स्थिति मे न्यूनतम लक्ष्य प्रतिदिन 200 लीटर दूध विकय व रू. 2000/– का दुग्ध पदार्थ विकय करना अनिवार्य होगा एवम् साँची डिपो आवटन की स्थिति मे न्यूनतम लक्ष्य प्रतिदिन 100 लीटर दूध रू. 1000/– का दुग्ध पदार्थ विकय करना अनिवार्य होगा, इसमें परिवर्तन/शिथिलता व संशोधन करने का अधिकार द्वितीय पक्षकार के रूप मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास रहेगा तथा समय–समय पर उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु दिये गय लक्ष्यों की प्राप्ति आवश्यक होगी। लक्ष्यों को प्राप्त नही कर सकने पर प्रथमतः चेतावनी नोटिस जारी की जाएगी तदोपरान्त प्रथम बार आर्थिक जुर्माना रू. 1000/–, द्वितीय बार नोटिस एवम् रू. 2000/– व दुग्ध सप्लाई रोकने की कार्यवाही की जावेगी। तृतीय बार निर्देश का पालन न करन पर आवंटन निरस्ती कर अन्य को आवंटन की कार्यवाही द्वितीय पक्ष द्वारा की जाएगी।

15– साँची पार्लर/डिपो संचालक प्रतिमाह दूध एवम् दुग्ध पदार्थो की बिक्री की लिखित जानकारी वितरक के माध्यम से दुग्ध संघ को प्रदाय करेंगे तथा दुग्ध संघ द्वारा दिये गये लक्ष्यों की पूर्ति करेंगे न करने पर अर्थदण्ड रू. 1000/– या अधिक जुर्माना किया जाएगा।

16– **यदि प्रथम पक्ष नगर पालिका निगम/स्थानीय प्रशासन के द्वारा सांची पार्लर को सौन्र्दयीकरण/सड़क चौड़ीकरण या अन्य किसी प्रकिया के तहत् हटाया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में पार्लर एजेन्ट को होने वाले किसी भी नुकसान के लिये ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर जबाबदार नहीं होगा।**

17– यह कि अगर डिपो/पार्लर लगातार 10 दिवस तक बंद रहता है तो ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को यह अधिकार होगा कि वह डिपो/पार्लर को हटा सकता है एवम् अमानत राशि को राजसात कर सकता है एवम् अन्य को डिपो/पार्लर आवंटित कर सकता है।

18– नगर निगम, ग्वालियर द्वारा भूमि का आवंटन किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा निर्धारित शर्त निम्नानुसार है–

(01) यह कि पक्षकार कं 2 ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ग्वालियर अथवा पक्षकार कं. 3 द्वारा पक्षकार कं. 1 नगर निगम ग्वालियर के कार्यालय में निर्धारित नॉन रिफण्डेबल प्रीमियम की राशि 6x6 वर्गफुट रू. 50000/–, 6x8 वर्गफुट रू. 60000/– एवं 8x8 वर्गफुट रू. 75000/– प्रति/बुथ/पार्लर चार समान अंशिका में जमा करानी होगी। पक्षकार कं. 3 को आवंटित डिपो/पार्लर का मासिक लायसेंस शुल्क उक्त क्षेत्र का बाजारू मूल्य का 4 प्रतिशत राशि रू. .... 02 वर्ष का अग्रिम रूप से जमा कराना होगी।

(02) यह कि पक्षकार कं. 1 द्वारा जो स्थान डिपो/पार्लर हेतु चिन्हांकित किया गया है उक्त स्थान पर निर्धारित माप 6x6=36 अथवा 6x8=48 वर्गफुट माप का मिल्क पार्लर पक्षकार कं. 2 द्वारा दुग्ध संघ के व्यय से बनवाकर रखवाया जावेगा। पार्लर के नियत स्थान एवं आस–पास किसी प्रकार का अतिक्रमण या पक्का निर्माण नही किया जावेगा। यह शर्त पक्षकार कं. 2 व 3 दोनो पर बंधनकारी होगी।

(03) यह कि डिपो/पार्लर हेतु जो भूमि आवंटित की जावेगी उस भूमि पर पक्षकार कं. 2 एवं पक्षकार कं. 3 को किसी प्रकार से भू–स्वत्य/स्वामित्व अथवा लीज (पट्टे) का अधिकार नही होगा।

(04) यह कि डिपो/पार्लर में केवल दुग्ध संघ द्वारा उत्पादित पदार्थो का ही विकय किया जावेगा। अर्थात डिपो/पार्लर पर दुग्ध संघ के उत्पादों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का विकय नही किया जावेगा। ऐसा पाए जाने पर आवंटन तत्काल बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।

(05) यह कि चिन्हांकित स्थल पर डिपो/पार्लर गुमटी रखने पर यातायात पुलिस या स्थानीय रहवासियों द्वारा आपत्ति की जाती है अथवा यातायात बाधित होता है तो पक्षकार कं. 1 नगर निगम द्वारा अनुमति निरस्त की जावेगी जिसका पालन पक्षकार कं. 2 व पक्षकार कं. 3 को उसके ऐजेन्ट को करना होगा।

(06) यह कि डिपो/पार्लर हेतु विद्युत कनेक्शन पक्षकार कं. 3 को लेना होगा तथा विद्युत देयको का भुगतान करना होगा।

(07) यह कि चिन्हांकित स्थल पर डिपो/पार्लर का संचालन बंद किया जाता है तो स्थल रिक्त कर भूमि का आधिपत्य नगर निगम को सौंपना होगा।

(08) यह कि म.प्र. शासन/नगर निगम द्वारा समय—समय पर डिपो/पार्लर के संचालन हेतु जारी किये गये आदेशों/निर्देशो का पालन पक्षकार कं. 2 एवं पक्षकार कं 3 को करना होगा।

(09) यह कि लोकहित में पक्षकार कं. 1 नगर निगम, ग्वालियर को स्थान की आवश्यकता होने पर डिपो/पार्लर हटाकर भूमि का रिक्त आधिपत्य 7 दिवस या 24 घटें के नोटिस पर हटाना होगा तथा पक्षकार कं. 1 नगर निगम वैकल्पिक स्थान देने के लिये बाध्य नही होगा।

(10) यह कि अनुबंध पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तो का पक्षकार कं. 2 ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित एवं पक्षकार कं 3 को पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लघंन की दशा में पक्षकार कं. 1 नगर निगम, ग्वालियर द्वारा दी गयी अनुज्ञा/अनुमति निरस्त की जावेगी। जिसका कोई कारण स्पष्ट करना अनिवार्य नहीं हागा।

(11) यह कि किसी भी विवाद की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी/आयुक्त, नगर निगम, ग्वालियर का निर्णय अंतिम होगा। जिसका पक्षकार कं. 2 ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित एवं पक्षकार कं. 3 को पालन करना होगा।

(12) पक्षकार कं 3 की ओर एन. आर.पी./मासिक लायसेंस शुल्क/पैनेल्टी आदि की कोई राशि वसूली हेतु शेष रहने पर म.प्र.न.पा.नि.अधिनियम 1956 के अध्याय 12 के अंतर्गत पक्षकार कं. 3 से वसूल की जावेगी।

(13) यह कि डिपो/पार्लर के आस—पास डस्टबिन रखना होंगे तथा स्वच्छता बनाये रखने हेतु समुचित प्रबंध करना होगे तथा जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशो का पालन करना होगा।

(14) यह कि नगर निगम के पदाधिकारियों को डिपो/पार्लर का निरीक्षण करने का अधिकार होगा तथा निरीक्षण के समय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के अधिकारियों तथा पक्षकार कं. 3 को दिये गये निर्देशो का पालन करना होगा।

(15) ग्वालियर दुग्ध संघ को डिपो/पार्लर को अस्थाई रूप से प्रथम तीन वर्ष हेतु आवंटित किया जावेगा तथा इनको लगाते समय ले—आउट नगर निगम से चिन्हित कराया जाये एवं ग्वालियर की ऐतिहासिक विरासत के अनुरूप एकरूपता की दृष्टि से नगर निगम द्वारा अनुमोदित डिजाईन अनुसार ही निर्मित कराया जावेगा।

(16) पार्लर/गुमटी हेतु त्रिपक्षी अनुबंध सम्पादित कर चिन्हांकित स्थलों पर ही लगाई जाये।

(17) सड़क चौड़ीकरण एवं आवश्यकता पड़ने पर पार्लर/गुमटी को हटाया जा सकेगा। इस हेतु किसी भी प्रकार की न्यायालयीन कार्यवाही (Litigation)/क्षतिपूर्ति मान्य नहीं होगी। इस हेतु 7 दिवस का नोटिस दिया जायेगा, नोटिस न लेने पर चस्पा किया जावेगा तथा 7 दिवस उपरान्त स्वयं न हटाने पर बलपूर्वक हटाया जा सकेगा।

(18) मासिक शुल्क पर नियमानुसार जी.एस.टी. देय होगी।

(19) तीन वर्ष की अवधि उपरान्त नवीनीकरण हेतु निर्णय के अधिकार निगम आयुक्त को होंगे। नवीनीकरण होने पर मासिक लायसेंस शुल्क में 25 प्रतिशत वृद्धि स्वीकार्य होगी।

यह अनुबंध समस्त पक्षो के वारिसों पर भी लागू होगा। इसके लिये तृतीय पक्ष द्वारा श्री/श्रीमती/कु. ....को अधिकृत वारिस नामित किया गया है।

उपरोक्त अनुबन्ध की समस्त शर्तो को समस्त पक्षों ने पढ़कर, समझ ली हैं, एवं पूर्ण होश हवास में बिना किसी दबाब के हस्ताक्षरित कर निष्पादित की गई हैं।

दिनांक ––––––––––––––
गवाह :–

हस्ताक्षर

1– हस्ताक्षर :–
नाम :–
पता :–

1– प्रथम पक्षकार

हस्ताक्षर

2– हस्ताक्षर :–
नाम :–
पता :–

2– द्वितीय पक्षकार

हस्ताक्षर

3– हस्ताक्षर :–
नाम :–
पता :–

3– तृतीय पक्षकार

जमानतदार–नामा

मैं जमानतदार सर्व श्री.. पिता/पति श्री.................... ....आयु......................... पता.. ...., मध्य प्रदेश में निवासरत हूँ, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर द्वितीय पक्ष एवं तृतीय पक्ष श्री..
पुत्र/पुत्री श्री... आयु....................... निवासी............................ ....के बीच आज दिनांक............................... को डिपो/पार्लर एजेन्टशिप अनुबंध लिखा गया है, इस अनुबंध का द्वितीय पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिये रूपये..............................(शब्दो में रूपये...................... ....) तक के नुकसान की जवाबदारी हमारी रहेगी । अगर नुकसानी तृतीय पक्ष ने अदा नही की तो वह मैं,जमानतदार स्वयं या द्वितीय पक्ष हमारी चल–अचल सम्पत्ति से वसूल करने के अधिकारी रहेगे ।

सादर जमानतनामा द्वितीय पक्ष के पक्ष के पक्ष में तृतीय पक्ष द्वारा लिखे डिपो/पार्लर एजेन्टशिप अनुबंध की पूर्ति के जमानत बतौर मैंने आज दिनांक..................को लिख दिया है ।

गवाह : जमानतदारः

1–

नाम– 1– .... हस्ताक्षर

2–

नाम–

शपथ – पत्र

मै...पुत्र/पुत्री...

आयु.................................... निवासी...

शपथ पूर्वक यह कथन करता/करती हूं कि–

1–मैंने आज दिनांक............................. को यह अनुबंध करार नगर पालिक निगम, ग्वालियर एवं ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर से दूध एवं दुग्ध पदार्थ साँची मिल्क पार्लर के माध्यम से विकय हेतु किया है जिसको समस्त सेवा शर्ते मुझे मान्य हैं।

2–यह कि यह शपथ पत्र मैं प्रथम पक्षकार नगर पालिक निगम, ग्वालियर एवं द्वितीय पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के साथ हुये अनुबंध के समर्थन में प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ, तथा यह शपथ पत्र अनुबंध का अभिन्न अंग ही माना जायेगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं.. सत्यापित करता/करती हूं कि शपथ पत्र के उपरोक्त चरण मेरी स्वंय की जानकारी के अनुसार सत्य व सही है।

सत्यापन आज दिनांक.............................. को.......................... में किया गया।

शपथग्रहिता

प्रपत्र क्र.05

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,ग्वालियर

गोला का मंदिर, ग्वालियर फोन नं. 2368107

–0–

प्रस्तावित पार्लर सूची– ग्वालियर

क्रमांक	पार्लर स्थान	रिजर्व फॉर
01	कुशवाह कॉम्पलेक्स, दीनदयाल नगर	अनुसूचित जनजाति महिला
02	शताब्दीपुरम, पावर हाउस के पास	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
03	विण्डसर हिल	अनुसूचित जनजाति महिला
04	सुरेश नगर, थाटीपुर	ई.डब्लू.एस.महिला
05	आनन्द नगर चौराहा नं–1	अनुसूचित जनजाति ओपन
06	अवाड़पुरा, कम्पू	अनुसूचित जनजाति ओपन
07	लधेड़ी, चार शहर का नाका	ई.डब्लू.एस. ओपन
08	जनकपुरी, सिन्धी कॉलोनी	ई.डब्लू.एस. ओपन
09	जवाहर कॉलोनी, चना कोठार के पास	अनुसूचित जनजाति ओपन
10	नयी गोदाम बस्ती, थाटीपुर	अनुसूचित जाति महिला
11	मोतीझील	अन्य पिछड़ा वर्ग ओपन